

कार्यालय- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महाराजगंज।

(जिला/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)

संख्यांक:04

प्रबन्धक,

ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल बडहरा महंथ सिसवां बाजार

जनपद-महाराजगंज।

पत्रांक/मान्यता/ **4934-38** /2015-16/

दिनांक **26/15**

विषय:-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके तारीख 28.08.2014 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ति पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश के अनुपालन में मान्यता समिति द्वारा सर्व सम्मति से लिये गये निर्णय दिनांक 06.2015 के फलस्वरूप ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल बडहरा महंथ सिसवां बाजार, महाराजगंज को प्राथमिक स्तर की अस्थायी मान्यता दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 31.03.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है:-

1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 5 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2)के उपबन्धों का पालन करेगा।

3-विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 80 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4-पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5-सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

कमशः..2 पर

- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रकृत प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक.03 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के निवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17- तीन वर्ष के अन्दर भूमि विद्यालय के नाम से कराना अनिवार्य है।
- 18- विद्यालय के नाम से भूमि है अथवा किरायेनामे का है, यदि किरायेनामे का है, तो पंजीकृत किराये नामे की प्रति एक माह के अन्दर इस कार्यालय में उपलब्ध करायें। अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 19- विद्यालय में कोई अध्यापक विभागीय नियमानुसार अप्रशिक्षित पाये जाने की दशा में विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 20- बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्य पुस्तकें ही पढ़ायी जायें।
- 21- विद्यालय का संचालन शासन/विभाग द्वारा निर्धारित समयानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
- 22- बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कोई भी वर्ग संचालित/बंद न किया जाये।

(रमाकान्त)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महाराजगंज

पृ0सं0/अंग्रेजी मान्यता/

/2015-16- तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
- 2- जिला समाज कल्याण अधिकारी/अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, महाराजगंज।
- 3- संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-महाराजगंज।
- 4- कार्यालय गार्ड फाइल हेतु।

(रमाकान्त)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महाराजगंज।



महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समस्त शिक्षा, विद्या श्रम, मिशनार्ज, लखनऊ - 226 007

वेब-साइट: www.upesfa.com

ई-मेल: upesfaipo@gmail.com

दूरभाष: 0522-4024440, 2760384, 2761128



प्रेषक

राज्य परियोजना निदेशक,
स्कूल शिक्षा उपप्र
लखनऊ।

सेवा में

श्री मनीष गर्ग
संयुक्त सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

दिनांक: 08 मार्च, 2022

पत्रांक: रा0प0नि0 / 5654 / 2021-22 / लखनऊ

विषय- एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय, कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि "कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण-पत्र अपलोड कर प्रेषित करें।"

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वार्षिक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन वैसिक शिक्षा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के दिनु- 15 में उल्लिखित निर्देश "प्रथमदृष्टया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है" के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। आगामी सत्र से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू-डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के त्रुटिवश/संयुक्त प्रचार-प्रसार के अभाव में यू-डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान सत्र में यू-डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उक्तवत्

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांकन: रा0प0नि0 /
प्रतिलिपि:

/ 2021-22 / लखनऊ / तददिनांक

1. जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाओं के यू-डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. श्री सदा अखतर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (राइटिंग-एफ)
3. जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।



Office of the District Basic Education Officer
MAHARAJGANJ

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that GYANDEEP PUBLIC SCHOOL, BADAHARA MAHANTH MAHARAJGANJ is provisionally recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition number allotted to GYANDEEP PUBLIC SCHOOL is MAH09574542515.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

Valid From:07-10-2024To:07-10-2025(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

New

4.School Type

Upper Primary School(6 to 8)

5.Recognition No.

DATE:- 07-10-2024

District Basic Education Officer

PLACE:- MAHARAJGANJ